



30. संतोष देवी स्त्री द्वाराका प्रसाद जाति गुर्जर  
 31. शाखा प्रबन्धक, रा.ग्रा. बैंक, परसरापुरा  
 32. शाखा प्रबन्धक बीओबी, उदयपुरवाटी  
 33. शाखा प्रबन्धक, एस बी आई, नवलगढ़।  
 34. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-प्रतिवादीगण

दावा घोषनार्थ, पुरूसती रिकार्ड व विभाजन  
निर्णय

निर्णय दिनांक 20.01.2017

वाद वादी दिनांक 16.06.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाकर मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2016/2571 दिनांक 09.09.2016 प्रस्तुत करने पर बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जात है।

आदेश

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम भोजनगर की भूमि ख.न. 488/1.06, 562/398/0.11, 366/1.32, 336/3.11, 346/0.19 है 0 493/1.46 है 0 455/0.30, 457/1.03, 458/0.26, 459/0.86 तथा ग्राम शिवनगर की भूमि ख.न. 51/2.71 है 0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. भीमसिंह द0पु0 सुगनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 488/0.48, 562/398/0.11 किता 2 कुल रकबा 0.59 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. किशनलाल पुत्र रामदेवा जति माली को भूमि ख.न. 488/1/0.58 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. भीमसिंह द.पु. सुगनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 493/1/0.36 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. भूमि ख.न. 493/1.10 है 0 का विशालसिंह पुत्र भूरसिंह हि 0 2/3 कोम राजपूत किशनलाल पुत्र रामदेवा हि 0 1/3 कोम माली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. भीमसिंह द.पु. सुगनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 455/1/0.05, 457/1/0.26 किता 2 कुल रकबा 0.31 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. भूमि ख.न. 455/0.20, 455/2/0.05, 457/0.51, 457/2/0.26, 458/0.26, 459/0.86 कुल किता 6 कुल रकबा 2.14 है 0 का विशालसिंह पुत्र भूरसिंह हि 0 2/7 जाति राजपूत, बजरंगलाल प्रहलाद मनीराम छोटेलाल पिता सांवरराम हि 0 1/7 जाति कुम्हार भवानीसिंह पुत्र जैतसिंह जगनाथसिंह पुत्र मूलसिंह हि 0 1/14 नत्थूसिंह दयालसिंह पिता विशालसिंह हि 0 1/14 दुर्गासिंह पुत्र छतूसिंह संतोषकंवर पत्नी स्व 0 लालसिंह कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह नाबालिग संरक्षिका माता संतोषकंवर लक्ष्मणसिंह पाबूदानसिंह जयपालसिंह रणजीतसिंह पिता सज्जनसिंह चन्दाकंवर पत्नी स्व 0 सज्जनसिंह बहिब अमरसिंह पिता जमनसिंह हि 0 1/14, गोवलसिंह पुत्र हणमानसिंह प्रेमकंवर रूकमणकंवर पुत्रियां हणमानसिंह बलबीरसिंह पुत्र लादूसिंह सरंजकंवर प्रमोदकंवर पुत्रिया लादूसिंह हि 0 1/14 कोम राजपूत प्रभात जगदीश पिता भूराराम हि 0 2/7 कोम गुर्जर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. भीमसिंह द0पु0 सुगनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 336/3.11, 346/0.19 किता 2 कुल रकबा 3.30 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि भा.स्टेट बैंक शाखा नवलगढ़ के रहन दर्ज किया जावे।

भीमसिंह द0पु0 सुगनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 366/1/0.33 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नवलगढ़

9. पृथ्वीसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 581/366 (0.0814 + 0.0466) कुल रकबा 0.1280 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
10. भूमि ख.न. 366/0.55, 582/366/0.3120 किता 2 कुल रकबा 0.8620 है० का विशालसिंह पुत्र भूरसिंह हि० 0.66 है०, रूकमणकंवर पत्नी मगनसिंह हि० 0.04 है०, खीवसिंह पुत्र श्रवणसिंह हि० 0.1490 है० है० पाबूदानसिंह द०पु० भंवरकंवर हि० 0.0130 है० जाति राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
11. ग्राम शिवनगर की भूमि ख.न. 51 रकबा 1.35 है० का भीमसिंह द०पु० सुगनसिंह जाति राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवलगढ के रहन दर्ज किया जावे।
12. बनारसी पत्नी सांवरमल संतोषदेवी पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति गुर्जर को भूमि ख.न. 51/1 रकबा 1.36 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 (दुर्गा प्रसाद मीना)  
 जिलाधिकारी  
 नवलगढ

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large '8' and some illegible text.



- 63
1. नम्बर दरमामद
  2. ~~दस्तावेज दरमामद~~ 24-1-17
  3. तारीख 25-1-17
  4. तारीख 25-1-17
  5. तारीख 25-1-17
  6. तारीख 2:00 रुपये
  7. तारीख 6/8